



बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

19 मार्च, 2025

[ग्रामीण विकास - ग्रामीण कार्य - पंचायती राज - लघु जल संसाधन - जल संसाधन - पथ निर्माण - भवन निर्माण - श्रम संसाधन].

कुल अल्पसूचित प्रश्न - 3

सड़क जाम से मुक्ति

12. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (194) (आरा):

पथ निर्माण :-

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-05.01.2025 को प्रकाशित "बिहटा में फिर लगा 10 कि०मी० लंबा जाम, 5 घंटे तक फंसी रहीं गाड़ियां" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा में विगत 2 वर्षों से प्रशासनिक लापरवाही के कारण बालू लदे ट्रक और छोटे एवं बड़े वाहन के ओवर टेक के कारण प्रायः 10 कि०मी० तक जाम लगा रहता है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर जाम के कारण स्कूल के बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, कर्मचारीगण समय पर कार्यालय नहीं पहुँच पाते हैं और रोगी समय पर अस्पताल नहीं पहुँचने के कारण एंबुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहटा में जाम से मुक्ति हेतु कौन सा कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिकार प्रदान करना

13. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (221) (नबीनगर):

पंचायती राज :-

क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में राज्य में जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त है;
2. क्या यह बात सही है कि विगत 2 वर्षों से राज्य के ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों द्वारा जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया गया है, जिससे ग्रामीण जनता को काफी परेशानी हो रही है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को फिर से जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

योजना का लाभ

14. श्री देवेश कान्त सिंह (111) (गोरियाकोठी):

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि सात निश्चय-2 “हरखेत तक सिंचाई का पानी” के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों जैसे- आवेदक का आधार कार्ड, जाति- प्रमाण पत्र एवं भू - स्वामित्व प्रमाण-पत्र आदि लगता है;
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक किसानों के परिवारों के पूर्वजों के नाम पर ही जमाबंदी वर्तमान में चल रही है, जिसके कारण राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक किसान मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ देने से वंचित रह जा रहे हैं;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ राज्य के सभी किसानों को देने के लिए कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?
